न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 234/2023

अनवान : –

1. प्रहलाद पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. घड़सीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. मीरा पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. तारावती पुत्री घड़सीराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चुरू।
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय तारानगर जिला चुरू।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहदन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैकट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 1171/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के दादा सुरजाराम पुत्र नानूराम के नाम दर्ज थी। रोही मौजा 23 एनटीआर के खाता स0 36/34 की भूमि सुरजाराम के फौत के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई एवं रोही मौजा 23 एनटीआर के खाता स0 90/87 की भूमि व साहवा की वाद भूमि सुरजाराम ने संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज करवाई थी। संयुक्त परिवार की साझा आय से खरीद होने के कारण वाद भूमि पैतृक है।

वाद भूमि अप्रार्थी संख्या [illegible] खानदान दर्ज है। जिसमें सायल का भी गैरसायल स0 1 के साथ [illegible] हिस्सा है। गैरसायल [illegible] 1 जो सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का पिता है अकेले के नाम भूमि दर्ज होने के कारण अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तिों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायलान उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गय रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैकट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 1171/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीद शुदा भूमि है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही है। न्यायालय हाजा में एक अन्य वाद रणजीत बनाम घड़सीराम जैरकार है जिसमें सायल द्वारा जवाब दरख्वास्त पेश किया गया है सायल को पूर्व में पेश दावा का ज्ञान था । अतः उक्त तथ्यो के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी रोही मौजा 23 एनटीआर बहक सुराज के मुताबिक रोही मौजा 23 एनटीआर की भूमि सुरजा के नाम दर्ज थी और सुराज के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई अतः रोही मौजा 23 एनटीआर की भूमि पैतृक भूमि है। रोही मौजा साहवा की भूमि के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि सुरजा के नाम दर्ज थी तथा सुरजा से जरिये बैयनामा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है यानि की अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है इसलिए यह साहवा की भूमि भी पैतृक है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है [illegible] साबित हो की साहवा की वाद भूमि सुरजा के नाम कैसे दर्ज हुई है जबकि [illegible] नामान्तरण से स्पष्ट है कि साहवा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिये बैयनामा दर्ज हुई है। उपरोक्त विवेचनानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा 23 एनटीआर की भूमि पैतृक होने के कारण अप्रार्थीगण को रहन, बैय करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है जबकि साहवा की वाद भूमि पैतृक साबित नही होने के कारण अप्रार्थीगण को रहन, बैय करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है क्योंकि रोही मौजा 23 एनटीआर की भूमि की अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी जबकि रोही मौजा साहवा की वाद भूमि हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है जब प्राथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैकट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे तथा न्यायालय द्वारा रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खाता स0 1171/1129 की कुल 14.9970 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर दिनांक 18.09.2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested